भारतीय संविधान: मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों का विश्लेषण

सुमन देवी[1] डॉ. सीमा रानी[1]

[1]शोधार्थी [2]शोध निर्देशक

विभाग:- लोक प्रशासन

ओ. पी. जे. एस. विश्वविद्यालय

ईमेल आईडी:- 22sumanchahal@gmail.com

सारांश

पेपर का उद्देश्य भारत के संविधान पर अंतर्दृष्टि है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने संविधान के प्रावधानों से जुड़ी सभी पत्रिकाओं और पुस्तकों का संक्षिप्त अध्ययन किया है, जो मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान, समानता के प्रति प्रतिबद्धता और गैर-भेदभाव और समाज में कमजोर वर्ग के लिए चिंता प्रकट करती हैं। इसके अलावा, संविधान सरकार के लिए स्वतंत्रता की रक्षा और बढ़ावा देना और प्रत्येक नागरिक को एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है। दूसरे शब्दों में, भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बुनियादी मानवाधिकारों की गारंटी देता है। यह पत्र भारत के सामान्य संवैधानिक कानूनों और भारत के संविधान में किए गए संशोधनों से संबंधित है। कागज के लिए योजनाओं के बारे में भी पता चलता है उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति संविधान के भाग III और भाग IV में निहित मौलिक अधिकारों में निहित है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने वाले कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं।

विषय संकेत: संविधान सभा, न्यायोचित, पर्याप्त सुरक्षा उपाय, कार्योत्तर कानून।

परिचय

किसी देश का संविधान राजनीतिक व्यवस्था की बुनियादी संरचना निर्धारित करता है जिसके तहत उसके लोगों को शासित किया जाना है। यह राज्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मुख्य अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों को परिभाषित करता है, उनकी जिम्मेदारियों का सीमांकन करता है और एक दूसरे के साथ और लोगों के साथ उनके संबंधों को नियंत्रित करता है। हालाँकि हर संविधान उसके बाद उसकी स्थापना के दृष्टिकोण और मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और राजनीतिक और आर्थिक लोकाचार और लोगों की आस्था और आकांक्षा पर आधारित है। इसलिए महत्वपूर्ण रूप

से यह ध्यान दिया जा सकता है कि संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान का निर्माण लोगों द्वारा एक संविधान सभा (बक्सी, 1981) पर विचार करने और अपनाने के उद्देश्य से किया जाता है।

ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित भारत अधिनियम, 1947 की स्वतंत्रता के अनुसार 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसने भारत में दो स्वतंत्र उपनिवेश स्थापित करने का प्रावधान किया, जिन्हें भारत और पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार भारत ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त किया। हालाँकि, दोनों नए राज्यों को भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा प्रशासित किया जाना जारी रखा गया था। भारत के संविधान को तैयार करने का कार्य संविधान सभा को सौंपा गया था, जो 9 दिसंबर, 1946 को पहली बार मिली थी।

इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1948 में भारत के नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इसका अंतिम रूप 26 नवंबर, 1949 को दिया गया, जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। संविधान की प्रस्तावना में भारत की घोषणा की गई है। एक 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' होना।

'लोकतांत्रिक' शब्द का अर्थ है कि सरकार लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करती है। सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और यह लोगों के प्रतिनिधियों का एक निकाय है।

इस प्रकार कानूनी और साथ ही राजनीतिक संप्रभुता का प्रयोग करने की शक्ति लोगों में निहित है। यह एक भावना देता है कि वे सभी समान हैं 'उनकी जाति, धर्म, भाषा, लिंग और संस्कृति के बावजूद' (दीवान और दीवान, 1998)।

उद्देश्य

- मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करना।
- भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित विभिन्न अधिकारों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों पर एक समीक्षा

अनुसंधान भारतीय संविधान की राज्य नीति के मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण समीक्षा की परिकल्पना करता है। हालाँकि इसने भारत जैसे संप्रभु राज्य में लोगों द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रदर्शन की संभावना को निर्धारित किया।

संविधान सभा में मानवाधिकार और वाद-विवाद

भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की एक लिखित गारंटी, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की परिकल्पना को 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा मान्यता दी गई थी। इसके

लिए, विधानसभा को रिपोर्ट करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी। मौलिक अधिकारों पर। कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव के अनुसार, संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1947 को सलाहकार समिति बनाने के लिए मतदान किया। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। समिति को मौलिक अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए खंड आदि पर विधानसभा को रिपोर्ट करना था। आचार्य कृपलानी के अध्यक्ष के रूप में मौलिक अधिकारों पर उप-समिति सलाहकार समिति द्वारा स्थापित उप-समितियों में से एक थी।

इस उप-समिति की पहली बार बैठक 24 फरवरी, 1947 को बी.एन. द्वारा तैयार अधिकारों की मसौदा सूची पर चर्चा करने के लिए हुई थी। राव, के.टी. शाह, के.एम. मुंशी, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, हरनाम सिंह और कांग्रेस विशेषज्ञ समिति, साथ ही अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विविध नोट्स और ज्ञापन। ये सूचियाँ लंबी और विस्तृत थीं, क्योंकि उनके साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन भी थे और इनमें नकारात्मक और साथ ही देश के भीतर और बाहर दोनों ही स्रोतों से लिए गए सकारात्मक अधिकार शामिल थे।

सामाजिक नियंत्रण के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित करना, पहला व्यक्तिगत व्यक्तित्व को पूरा करने के लिए और बाद में समाज की शांति और स्थिरता के लिए एक बहुत ही पेचीदा समस्या थी। तकनीक पर असहमति के बावजूद सिद्धांतों पर शायद ही कोई अंतर था। अतः यह निर्णय लिया गया कि मौलिक अधिकार न्यायसंगत होने चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान, दोहरे खतरे से सुरक्षा, कार्योत्तर कानून, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने का अधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सभी को अपनाया गया था। विशेषाधिकार रिटों की अंग्रेजी युक्ति, या रिटों के रूप में निर्देश कानूनी पद्धति थी, जो उन्हें सुरक्षित करने के अधिकारों में शामिल थी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी अपनाया गया (लुट्ज़ और बर्क, 1989)। हालांकि कुछ संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया था, अधिकारों और बुनियादी सिद्धांतों की सामग्री बरकरार रही। अधिकारों को मौलिक और अदालतों द्वारा लागू करने योग्य माना जाता था लेकिन वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। उन्हें विशेष अधिकार के प्रावधान को जोड़कर और कुछ परिस्थितियों में अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करके सीमित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, बुनियादी स्वतंत्रता आदि कुछ सीमाओं के साथ पारित किए गए।

सात मौलिक अधिकारों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों में निहित मानवाधिकारों के साथ घनिष्ठ समानता थी। के.एम. मुंशी, अम्बेडकर और के.टी. शाह अधिक जोरदार सामाजिक कार्यक्रम के पक्ष में थे। इसलिए उन्होंने एक निर्दिष्ट समय सीमा पर जोर दिया जिसके भीतर सभी निर्देशक सिद्धांतों को न्यायोचित बनाया जाना चाहिए। संविधान के मसौदे (नवंबर-दिसंबर, 1948) पर बहस के दौरान दो

तरह की राय थी - कि ये निर्देश समाजवादी राज्य की स्थापना की दिशा में पर्याप्त नहीं थे और उन्हें कुछ संस्थानों और सिद्धांतों पर अधिक जोर देना चाहिए था, जो केंद्र में थे।

भारतीय व्यवहार और हिंदू विचार, विशेष रूप से वे जो गांधी की शिक्षाओं का महिमामंडन करते हैं। ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था के विकास और ग्राम संगठन की पंचायत प्रणाली के लिए संशोधन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार का उत्तरदायित्व बनाना, पशुवध को रोकना और पशुपालन और कृषि के तरीकों में सुधार करना सरकार का दायित्व है। , विभिन्न उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए आह्वान करने वाले संशोधन इन मतों के प्रमाण हैं। हालाँकि, इनमें से अधिकांश संशोधनों को उनके आरंभकर्ताओं द्वारा वोट दिया गया या वापस ले लिया गया। नतीजतन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को विधानसभा द्वारा भारतीय संविधान के भाग IV के रूप में अपनाया गया था।

नागरिक स्वतंत्रता के अर्थ में मौलिक मानव अधिकार अपनी आधुनिक विशेषता और स्वर के साथ भारत में ब्रिटिश शासन के समय से कमोबेश संवैधानिक सरकार और संसदीय संस्थाओं के विकास के समानांतर विकास है। उनके विकास की प्रेरणा स्पष्ट रूप से विदेशी शासन के प्रतिरोध से निकली जब अंग्रेजों ने निहत्थे गरीब भारतीयों पर क्रूर हमले जैसे मनमाने कृत्यों का सहारा लिया। राष्ट्रवादी आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म प्रत्यक्ष परिणाम थे।

स्वतंत्रता आंदोलन बड़े पैमाने पर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ और सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों और सेवाओं तक पहुंच के मामले में नस्ल, रंग, पंथ, लिंग, जन्म स्थान के बावजूद सभी लोगों के लिए बुनियादी मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए निर्देशित किया गया था। बुनियादी मानवाधिकारों के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के इतिहास को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से देखा जा सकता है, जिसने 1895 में मानव अधिकारों के स्पेक्ट्रम को तैयार करने का प्रयास किया, जब एक अज्ञात लेखक ने भारतीय संविधान विधेयक का मसौदा तैयार किया। हालाँकि, पहला औपचारिक दस्तावेज 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के साथ अस्तित्व में आया। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट द्वारा प्रतिपादित अधिकार - मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा, निर्वाह मजदूरी, मातृत्व की सुरक्षा, बच्चों का कल्याण - मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अग्रदूत थे, जो 22 साल बाद भारतीय संविधान में स्थापित किए गए थे। मानवाधिकारों पर सबसे महत्वपूर्ण घोषणा 1946 में जवाहर लाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के पन्नों में हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव में, देश के लिए एक संविधान तैयार करने का संकल्प लिया गया था, जिसमें "सभी देश के लिए गारंटी और सुरक्षित होगा जिसमें पर्याप्त अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और दबे-कुचले और अन्य वर्गों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे। इस संकल्प ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निहित बुनियादी सिद्धांतों को

शामिल करने और लागू करने के लिए संस्थापक पिताओं की चिंता को भी प्रतिबिंबित किया। भारत का संविधान इनमें से अधिकांश अधिकारों का सार है। दो भाग-मौलिक अधिकार और उनके बीच भारत के संविधान के निर्देशक सिद्धांत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के लगभग पूरे क्षेत्र को कवर करते हैं।

प्रस्तावना और मानवाधिकार

संविधान की प्रस्तावना सर्वोच्च महत्व की है और प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में संविधान को पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना घोषणा करती है: "हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता , विश्वास, विश्वास और पूजा; स्थिति और अवसर की समानता; और उन सभी के बीच बढ़ावा देना; बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है।

मौलिक अधिकार और मानवाधिकार

भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता यह है कि मानवाधिकारों के एक बड़े हिस्से को मौलिक अधिकारों का नाम दिया गया है, और मौलिक अधिकारों को लागू करने के अधिकार को ही मौलिक अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के मैग्ना कार्टा का गठन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14-31 के तहत मौलिक अधिकार समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अधिकार (देसाई, 1986) के आधार पर व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करते हैं। ये नकारात्मक अधिकार हैं जिनका उल्लंघन होने पर राज्य के खिलाफ लागू किया जा सकता है। इन अधिकारों को विभिन्न श्रेणियों में संक्षेपित किया जा सकता है:-

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

समानता का अधिकार भारतीय संविधान में मानव अधिकारों की आधारशिला है। जबकि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि "राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा," अनुच्छेद 15 कहीं अधिक विशिष्ट विवरण देता है कि "राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा" धर्म, जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर (ए) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के संबंध में किसी भी अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन होना चाहिए। जबकि, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि "राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित

मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होगा।" अनुच्छेद 17 और 18 राज्य को क्रमशः अस्पृश्यता और उपाधियों को समाप्त करने का निर्देश देते हैं (सहगल, 2004)।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

अनुच्छेद 19-22 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में मानवाधिकारों की आत्मा है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि "सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा; शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का; संघ या संघ बनाने का: भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का; भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार होगा। भारत के क्षेत्र; और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए। जबकि, अनुच्छेद 20 कहता है कि "अपराध के रूप में लगाए गए अधिनियम के कमीशन के समय किसी कानून के उल्लंघन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और न ही उस से अधिक दंड के अधीन किया जाएगा जो कि लगाया गया हो सकता है।" अपराध किए जाने के समय लागू कानून।" हालाँकि, मानव स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 20 में कहा गया है, जो कहता है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

संविधान के अनुच्छेद 23-24 के तहत अधिकारों की एक सूची है जो शोषण, मानव तस्करी और इसी तरह के शोषण पर रोक लगाती है। अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार और बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर रोक लगाता है। हमारे संविधान ने 'गुलामी' शब्द का उपयोग करने के बजाय एक अधिक व्यापक अभिव्यक्ति "मानव तस्करी" का उपयोग किया, जिसमें न केवल गुलामी का निषेध शामिल है, बल्कि अनैतिक या अन्य उद्देश्यों के लिए महिलाओं या बच्चों या अपंगों के व्यापार पर भी प्रतिबंध शामिल है (वेल्च और लेरी, 1990)। संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खान में या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर रोक लगाता है। इस प्रकार जबरन श्रम निषिद्ध है और बच्चों को मौलिक अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

अनुच्छेद 25-28 के तहत संविधान का भाग III नागरिकों के लिए कुछ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए निर्धारित करता है। उनमें पेशे, अभ्यास और धर्म के प्रचार के स्वतंत्र अनुसरण की अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान

की स्वतंत्रता और कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता शामिल है। संक्षेप में, ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के महत्वपूर्ण अधिकार हैं (मेहता और वर्मा, 1999)।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों को कुछ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। जबकि अनुच्छेद 29 देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग के अधिकार की गारंटी देता है, जिनकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, और उसी के संरक्षण के लिए, अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान है कि "सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा"। संक्षेप में, ये महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जहाँ तक भारत जैसे बहुसंख्यक समाज में अल्पसंख्यक समूहों के मानवाधिकारों के संरक्षण की बात है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान में इन अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में न्यायिक संरक्षण और पवित्रता का एक उपाय है। अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है। इस अनुच्छेद का खंड 2 सर्वोच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण की प्रकृति के रिट सहित निर्देश, या रिट जारी करने का अधिकार देता है। इस अधिकार को तब तक निलंबित नहीं किया जा सकता जब तक आपातकाल की उद्घोषणा लागू न हो (बसु, 2007)।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में लोकप्रिय संविधान का भाग IV भारत के लोगों के लिए मानव नागरिक और आर्थिक अधिकारों की एक लंबी सूची प्रदान करता है। वे भारत में मानवाधिकारों का आधार बनाते हैं। सकारात्मक अधिकारों के इस चार्टर का मुख्य उद्देश्य शासन के बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करके सभी के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य कानूनों को लागू करने में विधायिकाओं द्वारा और कानूनों को लागू करने में कार्यकारी अधिकारियों द्वारा दोनों को ध्यान में रखना है। हालांकि ये सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, फिर भी ये देश के शासन में मौलिक हैं और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि

वह अपने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के सामान्य कल्याण के लिए कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे (कोठारी, और सेठी, 1987)। ये अधिकार हैं:

• आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करना (अनुच्छेद 3 9 (ए))।

• पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(डी))

• श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति की पर्याप्त सुरक्षा (अनुच्छेद 39 (ई))।

• समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39 ए)।

• निर्वाह मजदूरी, जीवन का एक सभ्य स्तर सुनिश्चित करने वाली कार्य की शर्तें और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद (अनुच्छेद 43)।

• बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (अनुच्छेद 45)।

• पोषण के स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार (अनुच्छेद 47)।

• गायों और बछड़ों और अन्य दूध देने वाले और वाहक मवेशियों के वध पर रोक लगाना (अनुच्छेद 48)।

निष्कर्ष

मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान और इसके निहितार्थों के बीच मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का लगभग पूरा क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा, भारतीय संविधान ने, इन दो भागों (भाग III और IV) के माध्यम से लागू करने योग्य अधिकारों और गैर-प्रवर्तनीय अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का एक नया प्रयास किया है, जिससे वे देश के मौलिक शासन पर एक-दूसरे की प्रशंसा कर सकें। अंत में, ये दोनों अधिकार परस्पर संबंधित हैं और दूसरों के पोषण के लिए अपरिहार्य हैं।

संदर्भ

1. बक्सी, यू (1981), द राइट टू बी ह्यूमन। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली।

2. देसाई ए.आर. (1986), वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया, पॉपुलर प्रकाशन, बॉम्बे।

3. कोठारी, आर और सेठी, एच (1987), मानव अधिकारों की राजनीति पर विशेष अंक, लोकायन, बुलेटिन, 5/4/5, पृष्ठ 33।

4. लुट्ज़, पी और बर्क (1989), न्यू डायरेक्शन्स इन ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेन्सिलवेनिया प्रेस, फ़िएडेल्फ़िया।

5. बसु, डी.डी. (2007), भारत के संविधान का परिचय, एस.चंद एंड कंपनी, पी.98।

6. वेल्च, ई. जूनियर, और लेरी, वी.ए. (1990), एशियन पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन राइट्स, वेस्टर्न प्रेस, ऑक्सफोर्ड।

7. दीवान, पी एंड दीवान, पी (1998), ह्यूमन राइट्स एंड द लॉ-यूनिवर्सल एंड इंडियन, डीप एंड डीप पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ 23।

8. मेहता, पी.एल और वर्मा, एन (1999), भारतीय संविधान के तहत मानवाधिकार, दीप और दीप प्रकाशन प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ 56।

9. सहगल, बीपीएस (2004), ह्यूमन राइट्स इन इंडिया: प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स, डीप एंड डीप पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ 23।

10. शर्मा, जी (2003), मानवाधिकार और कानूनी उपचार, दीप और दीप प्रकाशन प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली।